दैनिक जागरण

शिक्षा भविष्य के लिए किया गया सबसे बेहतर निवेश है

असहमति के स्वर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को मिल रहे व्यापक समर्थन के बीच असहमति के भी कुछ स्वर उठे हैं। इतने बड़े देश में ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन इस फैसले से असहमत लोग कश्मीर की अशांति की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने वालों को जाने-अनजाने जिस तरह खाद-पानी देने का काम कर रहे हैं वह ठीक नहीं। इन लोगों की ओर से एक दलील यह दी जा रही है कि घाटी के नेताओं को भरोसे में लेकर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए था। आखिर यह दलील देने वाले इससे अनजान क्यों बने रहना चाहते हैं कि कश्मीर के अधिकांश नेता तो पाकिस्तानपरस्त अलगाववादियों वाली भाषा बोलने में माहिर हो चुके हैं? उन्हें इस सच से भी अवगत होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 अलगाव का जरिया बन गया था और राजनीतिक अधिकारों की आड़ में कश्मीरियत का उल्लेख कुछ इस तरह किया जाता था मानो वह भारतीयता से भिन्न और कोई विशिष्ट संस्कृति हो। बेहतर हो कि अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे नेता और विचारक इस प्रश्न पर विचार करें कि आखिर इस अनुच्छेद से कश्मीर और साथ ही देश को हासिल क्या हुआ? इस प्रश्न पर कम से कम कांग्रेस नेतृत्व को अवश्य ही विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके एक के बाद एक नेता विभाजनकारी अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करते हुए यह भी कह रहे हैं कि पार्टी राह से भटक गई है। अच्छा हो कांग्रेस नेतृत्व यह देखे कि उसका रुख किसे बल प्रदान कर रहा है?

यह सही है कि कश्मीर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ानी पड़ी है, लेकिन इसे लेकर चिंतित हो रहे लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और पाबंदियां हटाने का सिलसिला बढ़ रहा है? यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बीते एक पखवाड़े में घाटी में जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। निःसंदेह तथाकथित आजादी के सपने से प्रभावित कश्मीर के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने में समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसे कश्मीरियों को यह दिवास्वप्न दिखाया जाए कि बीते हुए दिन फिर लौट सकते हैं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले में देश न केवल एकजुट है, बल्कि दृढ़ संकल्पित भी है। इसी संकल्प भाव के कारण ही कश्मीर में आतंक और अलगाववाद के समर्थकों के हौसले पस्त हैं और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे? यह सही समय है जब कश्मीर संबंधी फैसले पर राष्ट्र एक स्वर में बोले, क्योंकि इसी से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत अपने रुख से टस से मस होने वाला नहीं।

प्राकृतिक आपदा

उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आपदा में अभी तक 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। इससे आपदा प्रबंधन के दावों की हकीकत भी सामने आ गई है। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्रों में रविवार को आई आपदा की बात करें तो यहां घटना के कई घंटों बाद तक हालात की सही जानकारी ही नहीं मिल पाई। घटना के कई घंटे बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव दल देर शाम तक भी नहीं पहुंच पाया था। यहां संचार व्यवस्था ठप थी और बामुश्किल घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। यह सारी स्थिति आपदा प्रबंधन के दावों को आईना दिखाने के लिए काफी है। यह बात सही है कि आपदा पर किसी का वश नहीं है, लेकिन राहत बचाव कार्य तो प्रशासन के हाथ में थे। छह साल पहले केदारनाथ में आई आपदा के बाद आपदा प्रबंधन के तमाम बड़े-बड़े दावे किए गए। संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सेटेलाइट फोन खरीदे गए, त्वरित आपदा राहत कार्य चलाने के लिए प्रशिक्षण दिए गए। बड़े होटलों में कई कार्यशालाओं के माध्यम से आपदा से निपटने के गुर सिखाए गए। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद आई आपदा के दौरान ये सारी तैयारियां कहीं दूर-दूर तक धरातल पर नजर नहीं आईं। इस आपदा में कितने लोग हताहत हुए, इसका कोई सटीक आंकड़ा घंटों बाद भी प्रशासन के पास नहीं था। हालांकि दोपहर बाद से सोशल मीडिया पर घटना की भयावह तस्वीरें सामने आने लगी थीं और लोग मदद की गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन इन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाई। यह बात सही है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बेहद जटिल है। यहां सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं है, मगर आपदा प्रबंधन में इसी का तो प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर उपकरण खरीदे जा रहे हैं। बावजूद इसके यदि घटना के 12 घंटे या उससे अधिक समय बाद राहत बचाव कार्य शुरू हो पाता है तो यह बेहद चिंताजनक है। ऐसी परिस्थितियां आपदा प्रबंधन को लेकर की जा रही तैयारियां पर सवालिया निशान लगाती हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन के कार्यों को और मजबूत बनाने की जरूरत की ओर भी इशारा करती हैं। सरकार को भी चाहिए कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों की नए सिरे से समीक्षा की जाए। इसके लिए सुदूरवर्ती इलाकों में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक दुरुस्त करने के लिए कदम उठाने होंगे।

समावेशी विकास की दिशा में सार्थक कदम

एम वेंकैया नायडू

अनुच्छेद 370 की समाप्ति से जहां देश की एकता-अखंडता को मजबूती मिलेगी वहीं इससे विकास के मोर्चे पर पिछड़ गए राज्य में नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले ने एक देशव्यापी बहस छेड़ दी है। देश के अधिकांश लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वे यह भी मानते हैं है कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता-अखंडता से जुड़ा मुद्दा है। इसे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस विषय पर किसी गंभीर बहस से पहले अनुच्छेद 370 के पीछे मूल उद्देश्य को समझना जरूरी है। वास्तव में यह एक अस्थायी प्रावधान था जिसे स्थायी बनाने की कोई मंशा ही नहीं थी। यह भी एक तथ्य है कि अनुच्छेद 370 वर्ष 1952 में अमल में आया। जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के समय यह अस्तित्व में नहीं था। संविधान सभा ने अक्टूबर 1949 में इसे संविधान में शामिल किया था। इसका बीड़ा सभा के सदस्य शेख अब्दुल्ला ने उठाया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को अपने झंडे और अलग संविधान के साथ ही कई विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। हालांकि इसे संविधान में शामिल कराना उतना आसान भी नहीं रहा था।

जब इसे संविधान में शामिल करने पर विचार हो रहा था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को सलाह दी कि वह डॉ. भीमराव आंबेडकर को इस विषय पर मनाएं। डॉ. आंबेडकर इसके पक्ष में ही नहीं थे। 'डॉ. आंबेडकर, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कांस्टिट्यूशन' में लेखक डॉ. एसएन बुसी ने इस संदर्भ में डॉ. आंबेडकर के बयान का उल्लेख किया है, 'श्री अब्दुल्ला, आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की हर आवश्यकता की पूर्ति करे और कश्मीर को भारत में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आप यह नहीं चाहते कि भारत सरकार या भारत के किसी नागरिक को कश्मीर में कोई अधिकार मिले। ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देना भारत के हितों के साथ विश्वासघात होगा और कानून मंत्री के रूप में, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा।'

पंडित नेहरू ने भी 27 नवंबर, 1963 को संसद में अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान बताते हुए कहा था कि यह काफी घिस चुका है। फिर भी इतिहास साक्षी है कि कश्मीर के लोगों को शेष भारत के निकट लाने के बजाय अनुच्छेद 370 ने इस खाई को और चौड़ा ही किया। स्वार्थी तत्वों ने सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया। अनुच्छेद 370 आम नागरिकों को कोई फायदा पहुंचाने में नाकाम रहा, वहीं अलगाववादी राज्य और शेष भारत के बीच नफरत बढ़ाने में इसका इस्तेमाल करते रहे। यह सब पड़ोसी देश की शह पर होता रहा।

अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। वर्ष 1964 में तो इस पर संसद में चर्चा भी हुई थी। तब इसे समाप्त करने के लिए एक निजी विधेयक को व्यापक समर्थन भी मिला था। प्रकाशवीर शास्त्री के इस

प्रस्ताव को राममनोहर लोहिया और कांग्रेसी दिग्गज के. हनुमंथैया जैसे वरिष्ठ नेताओं का साथ मिला था। तब चर्चा हुई कि दलगत राजनीति से ऊपर सदस्य चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए कानून बने। सदन में अनुच्छेद को पूर्ण अखंडता की राह में रोड़ा माना गया। तब जिन 12 सदस्यों ने इसे हटाने का समर्थन किया उनमें सात कांग्रेस के थे। इनमें जम्मू-कश्मीर के इंदर जे. मल्होत्रा, श्यामलाल सर्राफ, समाजवादी एचवी कामथ, भाकपा के सरजू पांडेय और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद शामिल थे।

देश को लगा कि देर-सवेर इसकी विदाई हो जानी चाहिए। तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने इस पर कहा था कि 'अनुच्छेद 370, निहित प्रावधानों के बिना सिर्फ एक खोखला आवरण मात्र बचा है। इसमें अब कुछ भी नहीं रह गया है। हम इसे एक दिन में या 10 दिन में या फिर 10 महीने में समाप्त कर सकते हैं। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है।'

मौजूदा सरकार और संसद अब इस फैसले पर पहुंची कि इस निरर्थक प्रावधान की कोई जरूरत नहीं रही। इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया। यह राज्य के लोगों के जीवन सुधार में एक बड़ा अवरोध बना हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में उल्लेख भी किया कि देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि केंद्र के वे कौन से लोक कल्याणकारी कानून थे जो अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो रहे थे। इसके हटने से कुल 106 केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो सकेंगे। इस कड़ी में वहां भ्रष्टाचार निरोधक कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, शिक्षा का अधिकार कानून, 72वें और 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन की राह भी खुलेगी। इसी तरह अनुच्छेद 35 ए की समाप्ति से जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के साथ दशकों से हो रहे भेदभावपूर्ण अन्याय का अंत हो गया है। भले ही उन्होंने राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, लेकिन उन्हें अब संपत्ति सहित अपने अन्य अधिकारों से हाथ नहीं धोना पड़ेगा।

मेरी दृष्टि में अनुच्छेद 370 को समाप्त करना भारत की एकता-अखंडता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में एक सही कदम है। जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। ऐसे में इससे जुड़ा कोई भी निर्णय हमारा नितांत आंतरिक मामला है। इसमें किसी बाहरी पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। इस मामले में देसी-विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के प्रति सजग रहना होगा।

अब जम्मू-कश्मीर का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ है। संभवतः पंडित नेहरू स्वयं भी यही चाहते थे। यह एक सुधारवादी कदम है जिसका समय आ चुका था। जो आलोचक इसकी संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठा रहे हैं तो वे यह जान लें कि यह व्यापक चर्चा के बाद राज्यसभा में दो तिहाई और लोकसभा में 4/5 बहुमत से पारित हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह एकीकरण लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर के कई वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। लद्दाख के सांसद जम्यांग शेरिंग नमग्याल का इस संदर्भ में लोकसभा में भाषण खासा उल्लेखनीय था जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की बेशकीमती मणि है।

मुझे भरोसा है कि जम्मू-कश्मीर में हालात सुधरने के बाद उसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 को हटाना वास्तव में एक साहसी और ऐतिहासिक कदम है जो देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, प्रगति और व्यवसाय के समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करने के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देता है। इससे राज्य में तमाम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला यह कदम विकास में अपेक्षाकृत रूप से पिछड़ गए राज्य में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। वास्तव में यह स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में पहला कदम है।

(लेखक उपराष्ट्रपति हैं)

response@jagran.com

आर्थिक मंदी की डरावनी दस्तक

विवेक कौल

तमाम वस्तुओं की गिरती हुई बिक्री दर्शाती है कि लोगों को अपना आर्थिक भविष्य कुछ डांवाडोल नजर आ रहा है

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अंदाजा वहां की आर्थिक गतिविधियों को देखकर लगाया जा सकता है। 2019 के आरंभ से भारत में आर्थिक मोर्चे पर हाल कुछ सही नहीं रहे हैं। इन दिनों स्थिति और भी बदतर हो गई है। हम आर्थिक सूचकों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब गाड़ियों की बिक्री को ही ले लीजिए। अप्रैल से जून 2019 के बीच में इनकी बिक्री पिछले साल की तुलना 23.3 प्रतिशत गिरी है। यह करीब 15 वर्षों में गाड़ियों की बिक्री में आई सबसे बड़ी गिरावट रही है। यहां यह कहना जरूरी है कि गाड़ी खरीदने की हैसियत सब भारतीय नहीं रखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम दोपहिया वाहनों की बिक्री पर भी नजर डालें। इनकी बिक्री भी अप्रैल से जून 2019 के बीच में पिछले साल की तुलना में 11.7 प्रतिशत गिरी है। अक्टूबर से दिसंबर 2008 के बाद यह सबसे बड़ा संकुचन है। उन तीन महीनों में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 14.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। पते की बात यह है कि मोपेड की बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। उनकी बिक्री अप्रैल और जून 2019 के बीच पिछले साल के बनिस्बत 19.9 प्रतिशत गिरी है। इसके अलावा ट्रैक्टरों की बिक्री में भी 14.1 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इन आर्थिक सूचकों को देखकर हमें क्या पता चलता है? कोई भी आदमी एक गाड़ी या एक दोपहिया वाहन या फिर एक ट्रैक्टर अपनी मर्जी से खरीदता है। इस बात के लिए उसे कोई मजबूर नहीं करता है। ऐसा करते हुए वह अपनी बचत का एक हिस्सा इन पर खर्च करता है। इसके अलावा इस खरीद के लिए पूरे पैसे का जुगाड़ करने के लिए ज्यादातर लोगों को बैंक या एनबीएफसी से कर्ज लेने की जरूरत भी पड़ती है। अब कर्ज लिया है तो इस कर्ज की भरपाई करने के लिए आने वाले दिनों में ईएमआइ भी देनी पड़ेगी। जब एक आदमी ईएमआइ देने की प्रतिबद्धता दिखा रहा है तो उसे अपने आर्थिक भविष्य पर विश्वास होता है। उसे यह भरोसा है कि ईएमआइ देने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लेगा, पर हाल-फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। वाहनों की गिरती हुई बिक्री दर्शाती है कि लोगों को अपना आर्थिक भविष्य कुछ डांवाडोल नजर आ रहा है। इसलिए वे खर्चा नहीं कर रहे हैं और इसका गुणक प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है।

गाड़ी या दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी सब कुछ खुद नहीं बनाती है। जैसे एक कार निर्माता कंपनी को ही

लीजिए। पहिये कोई और बनाता है तथा स्टियरिंग कोई और। गाड़ी को बनाने के लिए जो स्टील लगता है वह भी किसी और कंपनी से आता है। तो अगर गाड़ियों की बिक्री में एक ठहराव सा आता है तो इसका असर बाकी कंपनियों पर भी पड़ता है। यह गुणक प्रभाव धीरे-धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है।

जब ऐसा होता तो इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा सकती हैं या वेतन स्थिर या कम हो सकता है। इसका प्रभाव उनके खर्चे पर पड़ता है। इसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली कंपनियां भी पहले जैसा कारोबार नहीं कर पा रही हैं। अप्रैल से जून 2019 के बीच में उसकी वॉल्यूम ग्रोथ (पैक बेचने में वृद्धि) करीब पांच प्रतिशत रही। पिछले साल यह करीब 12 प्रतिशत थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बाकी कंपनियां भी अपने कारोबार में पहले जैसी वृद्धि नहीं पा रही हैं। इन सब नकारात्मक कारकों के बीच बैंकों द्वारा दिया गया खुदरा ऋण अभी भी काफी मजबूत चल रहा है। अप्रैल से जून 2019 के बीच इसकी वृद्धि 16.6 प्रतिशत रही। पिछले साल इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 17.9 प्रतिशत रही थी। उपभोग व्यय भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है। यदि उपभोग व्यय में मंदी देखी जा रही है तो यह स्वाभाविक है कि व्यापक अर्थव्यवस्था में भी मंदी फैल रही है।

अगला प्रश्न यह उठता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की क्या स्थिति है? यदि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की मानें तो अप्रैल से जून 2019 के बीच मूल्य के हिसाब से नई निवेश परियोजनाओं की घोषणाओं में पिछले साल के मुकाबले करीब 80 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा निवेश परियोजनाओं के पूरे होने में भी 48 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे स्पष्ट है कि कारोबारियों को वास्तव में भारत के आर्थिक भविष्य में भरोसा नहीं है, चाहे वे सार्वजनिक रूप से इस बात को मानें या न मानें। यह आर्थिक मंदी सरकार के कर संग्रह में भी दिख रही है। अप्रैल से जून 2019 के बीच केंद्र सरकार का सकल कर संग्रह केवल 1.4 प्रतिशत बढ़ा। पिछले साल इसमें 22.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। इसके अलावा वस्तु निर्यात अप्रैल से जून के बीच में 81.1 अरब डॉलर रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 82 अरब डॉलर रहा था।

ये सारे आर्थिक सूचक आर्थिक मंदी का संकेत कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार क्या कर सकती है? कारोबारियों ने सरकार से एक लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि सरकार चालू वित्त वर्ष में बजट में तय खर्चे से एक लाख करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करे। बेहतर यह होगा कि सरकार ये पैसा उपभोक्ताओं के हाथों में दे और उन्हें खर्चा करने दे। यह कैसे होगा? इसके लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स की दरें इस साल के लिए कम की जाएं। दूसरा वस्तु एवं सेवा कर की दरों में भी कुछ संशोधन किया जाए। इससे उपभोक्ताओं के हाथों में कुछ पैसा आएगा और चीजों के दाम भी गिरेंगे। इससे फिर उपभोक्ताओं द्वारा अधिक उपभोग की संभावना बढ़ेगी।इसके साथ यह भी जरूरी है कि सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल और एयर इंडिया जैसी कंपनियों पर और पैसा न गंवाए। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के पास जो जमीनें हैं उन्हें भी बेचने की कोशिश होनी चाहिए। इससे सरकार के पास पैसा आएगा और उधार लेने की जरूरत कम होगी। सरकार अगर कम उधार लेगी तो ब्याज दरें भी कम होंगी। इन सब चीजों के अलावा सरकार को यह भी कोशिश करनी पड़ेगी कि व्यापारियों के लिए चीजें और मुश्किल न बनाई जाएं।

(इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक अर्थशास्त्री एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय के आगे

जो बीत चुका है उसका मोह छोड़ना सरल नहीं होता। वर्तमान में जीने वालों की भी संख्या कम होती है। वहीं समय से आगे का सोचने और करने की क्षमता और संकल्प ढूढने पर भी शायद ही मिले। वास्तव में मनुष्य की दृष्टि संकुचित होती जा रही है। प्राचीन काल में लोग पेड़ लगाया करते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसकी छाया में बैठ सकें, इसके फल खा सकें। कुएं खोदे जाते थे और तालाब बनवाए जाते थे जो किसी भी अनजान पथिक की प्यास बुझा सकें। एक तरह से पूरी सृष्टि का चिंतन था। इसी तरह मनुष्य के लिए मात्र वर्तमान जीवन ही नहीं, अगले जीवन को भी संवार लेने की प्रेरणा थी। कितने ही पुण्य कर्म, दान, जप, तप किए जाते थे कि आवागमन से मुक्त हो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाए। मानव सभ्यता के विकास और ज्ञान के प्रसार ने मनुष्य को अधिक चैतन्य बना दिया है, किंतु उसे एक तरह से भूत और वर्तमान का कैदी बना दिया है।

आज मनुष्य की अधीरता प्रबल हो रही है। वह सब कुछ तुरंत पा लेना चाहता है। उसे अपने हर कर्म का ऐसा फल चाहिए जो उसकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक हो। उसके पास दूसरों के लिए सोचने का समय नहीं है। दूसरों के लिए वह तभी सोचता है यदि कोई स्वहित सिद्ध होता हो। दृष्टि का यह संकुचन धर्म से दूर होते जाने का परिणाम है। आज धर्म स्थलों पर भीड़ है, पर उन लोगों की जो धर्म चिंतन से विहीन हैं। धर्म मूलतः चिंतन है जो कर्मों में प्रकट होता है। चिंतन विहीन कर्म बस कर्मकांड बन कर रह गए हैं। धर्म और आध्यात्म से जुड़ना मन, वचन और कर्म का समन्वित प्रयास है। इससे ही वर्तमान से आगे देख पाने की योग्यता विकसित होती है। समाज का हित इसी में है।

यदि आज पेड़ नहीं लगेंगे तो कल छाया और फल कैसे मिलेंगे। आज यदि गुणों का सम्मान नहीं होगा तो कल का समाज कैसा होगा। यदि कल के लिए कुछ करना है तो आज ही करना होगा। आज यदि भोजन कर रहे हैं तो पौष्टिकता तो कल ही मिलेगी।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

युवाओं में लोन लेने की बढ़ती प्रवृत्ति

मीनाक्षी भटनागर

इंडियालेंड्स की मानें तो देश के युवाओं द्वारा 2018-19 में सबसे ज्यादा लोन अपनी शादी के लिए लिए गए

हाल ही में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडियालेंड्स के एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश के युवाओं द्वारा 2018-19 में सबसे ज्यादा लोन अपनी शादी के लिए लिए गए। यानी 20 से 30 वर्ष के युवा अन्य जरूरतों के बदले सबसे ज्यादा अपनी शादी को फंड करने के लिए लोन ले रहे हैं। देश के छह शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में नौकरी करने वाले और खुद का बिजनेस करने वाले 5200 युवाओं के बीच यह सर्वे किया गया है। शादी के बाद पर्यटन के शौक को पूरा करने के लिए युवाओं द्वारा लोन लिए जा रहे हैं। यानी 2018-19 में घूमने-फिरने के लिए 19 फीसद युवाओं ने लोन लिया। वहीं इस दौरान 11 फीसद युवाओं ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए और सात फीसद ने जीवनशैली से संबंधित वस्तुओं को खरीदने के लिए लोन लिया।

इसके अलावा अलग-अलग शहरों के नौजवानों की इस मामले में प्राथमिकताएं भी अलग-अलग हैं। जैसे कि मुंबई में 22 फीसद युवाओं ने अपनी शादी के लिए लोन लिया। यह सभी शहरों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 27 फीसद युवाओं ने जीवनशैली से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने के लिए लोन लिया। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा 27 फीसद लोन बेंगलुरु के नौजवानों द्वारा लिए गए। शिक्षा के लिए भी सबसे ज्यादा तकरीबन 20 फीसद लोन बेंगलुरु के ही युवाओं ने लिया। इसके अलावा घूमने के लिए सबसे ज्यादा लोन हैदराबाद के युवाओं ने लिया। वहां 20 फीसद युवाओं ने इसके लिए लोन लिया। सवाल है कि युवाओं में लोन की इस बढ़ती प्रवृत्ति की वजह क्या है? दरअसल यह पीढ़ी में आए बदलाव का नतीजा है। इसकी वजह से आज देश के युवाओं की सोच का तरीका काफी हद तक बदल गया है। वे पुरानी पीढ़ी की तरह हाथ बांधकर खर्च नहीं करते, बल्कि वे खुलकर खर्च करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके लिए कर्ज लेने में भी संकोच नहीं करते। देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी पर पिछली पीढ़ी का दबाव भी कम है। वे अपने अधिकांश छोटे-बड़े निर्णय खुद ही कर रहे हैं। इसलिए युवा अपनी पसंद का काम करने के लिए स्वयं ही पैसे भी जुटाने लगे हैं। आज के युवा घूमने-फिरने के भी शौकीन हैं। पहले के लोग साधन के अभाव में ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे, जबकि आवागमन की सुविधा के विस्तार ने आज युवाओं को मानों पंख दे दिए हैं। इस पर वे खुलकर खर्च भी कर रहे हैं।

इसी तरह वे अपनी जीवनशैली से जुड़ी चीजों पर भी काफी खर्च कर रहे हैं। समाज में दिखावे की बढ़ती संस्कृति इसकी एक वजह है। वे अपने साथी से कमतर नहीं दिखना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज के युवा भविष्य की चिंता के बजाय वर्तमान में जीना अधिक पसंद करते हैं। यह जीवन को लेकर आए उनके नजरिये में फर्क की देन है। वे दबाव के बजाय ज्यादा खुलकर जीना चाहते हैं। भले ही इसके लिए कर्ज ही क्यों न लेना पड़े।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

संकल्प से ही होगा नए भारत का निर्माण

नए भारत के निर्माण का नजरिया शीर्षक से संजय गुप्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण का गंभीरता से विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद देश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ पाया, क्योंकि तत्कालीन सत्तापक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था, चुनौतियों की व्यापक समझ नहीं थी। चुनौतियों को समझे बिना उनके समाधान की ओर बढ़ना संभव नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंदगी, गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचा, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि विभिन्न चुनौतियों को गंभीरता से समझा और फिर उनके अनुरूप योजनाएं बनाकर उनको संकल्पबद्ध होकर लागू किया। आज जल संकट, बढ़ती आबादी, आर्थिक चुनौतियां, प्लास्टिक पर अंकुश आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि नौकरशाही योजनाओं को लागू करने में एक बड़ी बाधा है, लेकिन नए भारत के निर्माण के लिए दो स्तरों पर काम करने की आवश्यकता रहेगी-जन भागीदारी तथा उद्योग जगत का साथ। अंतरराष्ट्रीय संबंध और दिग्गज राष्ट्रों के साथ तालमेल भी आवश्यक है। नए भारत के निर्माण का रास्ता दृढ़ संकल्पों से ही तय होगा।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

गलती में सुधार

दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने द्वारा शासित किसी भी परिक्षेत्र, राज्य या प्रदेश के इतिहास में हुई गलती को सुधार ले। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही गलती पूर्व में हुई थी। करीब 70 साल तक ऐसे ही चलता रहा। सभी सरकारों को पता था कि यहां गलती हुई है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। इसका नतीजा रहा कि वहां अशांति बनी रही। अपने ही देश के कुछ लोग पड़ोसी देशों के बहकावे में आकर अलगाववादी तत्वों का साथ देने लगे। हालांकि इनकी संख्या बहुत सीमित रही, लेकिन देश में गलत संदेश तो जा रहा था। अब सरकार ने इस गलती को सुधार लिया है। इसका नतीजा है कि राज्य में शांति स्थापित हो गई है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबरें नहीं आ रही हैं। यानी वहां ऐसी कोई बात थी ही नहीं, जिसके बारे में प्रचारित किया जा रहा था। सब कुछ पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित था। वहां के लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। कहीं कोई हिंसा में शामिल नहीं है। यह बात न तो पाकिस्तान को अच्छी लग रही है और न ही देश के अंदर विरोधी दलों को, क्योंकि इससे उनकी राजनीति पर असर पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर सब कुछ शांत रहा तो उन्हें कौन पूछेगा? इसीलिए पाकिस्तान जहां वहां अशांति पैदा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वहीं विरोधी दल के नेता सरकार पर अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब कश्मीर में शांति है। उम्मीद है अब राज्य का विकास होगा।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

खतरनाक चीनी मांझा

हर साल 15 अगस्त पर पतंगबाजी के दौरान कुछ लोगों की मौत हो जाती है। कुछ बच्चे पतंग को पकड़ने के चक्कर में तो कुछ चीनी मांझे की चपेट में आ जाते हैं। तमाम पक्षी अलग से घायल हो जाते हैं। चीनी मांझे पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। बेचने और खरीदने वाले इसके खतरे से कैसे अंजान रहते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि यह जानलेवा है? क्या कुछ पैसा कमा लेना ही उनका मकसद है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वह क्यों नहीं ऐसे मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। चीनी मांझे को बेचने और खरीदने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जिससे कोई इसे बेचने की हिम्मत न कर सके।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

आवासीय विद्यालय

गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय सराहनीय है। इन विद्यालयों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए की उनके बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की दोनों सुरक्षित तरीके से इन विद्यालयों में रहेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर योग्य शिक्षकों का होना भी जरूरी है, अन्यथा शिक्षकों के अभाव में ये पूरा प्रयास ही निरर्थक हो जाएगा।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।